

**अभ्यास प्रश्न पत्र-IV**  
**राजनीति शास्त्र**  
**कक्षा : XI**

समय: 3 घंटे


पूर्णांक: 100

1. 52वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? 1
2. राज्य सभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 1
3. भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? 1
4. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई एक अंतर बताइए। 1
5. अधिकारों व दावों में कोई एक अंतर बताइए। 1
6. कानून के शासन का क्या अर्थ है? 2
7. हमें संविधान में अधिकारों की क्या आवश्यकता है? 2
8. संघ सूची व राज्य सूची के दो-दो विषय बताइए। 2
9. धर्म निरपेक्षता का अर्थ बताइए। 2
10. संविधान शब्द का क्या अभिप्राय है? 2
11. संसदीय व अध्यक्षीय प्रणाली में कोई चार अंतर बताइए। 4
12. शांति क्या है? हिंसा के किन्हीं तीन प्रमुख रूपों का उल्लेख कीजिए। 4
13. स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक हैं। टिपण्णी करें। 4
14. सतत् विकास क्या है? यह भावी पीढ़ियों के लिए क्यों आवश्यक है? 4
15. लोकसभा व राज्यसभा की तुलना कीजिए? 4
16. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए? 4
- 17.



- 1) बौने व्यक्ति के रूप में किसके ओर संकेत किया गया है? 1
- 2) उपयुक्त कॉर्टून में चारों व्यक्ति किस पार्टी से संबधित है? 1
- 3) 'सर्वाधिक वोट से जीत' प्रणाली क्या है? तथा इसका लाभ बताएं? 3

18. 1) राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 1
- 2) राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में इस कॉर्टून का क्या आशय है? 2
- 3) कई बार राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद क्यों रही है? 2



19. मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों में संसद कानून बना कर परिवर्तित कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता।

- 1) मौलिक अधिकार किस कहते हैं? 1
- 2) मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? 2
- 3) मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों में कोई दो अंतर बताइए। 2

20. भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी

नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए।

न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है।

- (i) न्यायाधीशों की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? 1
- (ii) न्यायाधीशों की दो योग्यताएं बताइए? 2
- (iii) न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए दो प्रावधान बताइए। 2
21. ऐसे 5 राज्यों के नाम लिखो, जहां द्विसदनात्मक विधायिका हैं। 5
22. राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें।  
अथवा  
स्वतंत्रता की परिभाषा बताइए व सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए? 6
23. 'भारतीय संविधान का स्वरूप तो संघात्मक है पर उसकी आत्मा एकात्मक है'। इस कथन को स्पष्ट करें।  
अथवा  
सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करें। 6
24. 73वें व 74 वें संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन कैसे मजबूत हुआ है। स्पष्ट करें?  
अथवा  
न्याय की परिभाषा दीजिए। राज्य के न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करें। 6
25. राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 6  
अथवा  
संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन करें? इसे संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं?
26. अधिकार की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों का उल्लेख करें। 6  
अथवा  
शांति क्या है? आज विश्व में शांति की स्थापना हेतु क्या किया जा सकता है।
27. धर्मनिरपेक्षता की भारतीय व पाश्चात्या अवधारणा में अंतर स्पष्ट करें। 6  
अथवा  
राष्ट्रवाद के गुणों और दोषों का उल्लेख करें?